खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की समस्या के लिए बढ़ते कृषि उत्पादों में तकनीकी एवं उन्नत बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका

प्रेम नारायण[1], आशुतोष कुमार[2] एवं अभिषेक कुमार राव[3]

सन 1960 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात ने भारत को पहली बार अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित हुआ कि कृषि और सम्बन्धित उद्यमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत बीजों एवं समुचित उर्वरकों की मात्रा से उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाना संभव है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में इस ओर बढ़ाए गए ठोस कदमों और प्रयासों से आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन 1970-71 में 108.42 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 308.65 मिलियन टन हो गया है।इसके अलावा, देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता 1951 में 144.1 किग्रा / वर्ष से बढ़कर 2020-21 में 185.4 किग्रा / वर्ष हो गई है। यदि भारत खाद्य मांग को बनाए रखना चाहता है, तो उसे अनुत्पादक भूमि को बहाल करने, वनों की कटाई से बचने, गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन के लिए तकनीकी को बढ़ावा एवं संसाधन प्रबंधन और खाद्यान्न भंडारण सुविधा समुचित प्रबंध करना आवश्यक है । प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन 2001-02 के दौरान 12.90 लाख टन से बढ़कर 2020-21 के दौरान 43.10 लाख टन हो गया, यह 2 दशकों के दौरान 3 गुना से अधिक है। प्रमाणित और गुणवत्ता वाले बीज महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो फसलों के उत्पादन में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं।

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था (State of Food Security and Nutrition in the World) संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भारत सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित आबादी वाला देश है। खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2014 से 2019 तक खाद्य असुरक्षा का दायरा 3.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वर्ष 2014 के सापेक्ष वर्ष 2019 तक 6.2 करोड़ अन्य लोग भी खाद्य असुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत तीन प्रमुख आयामों यथा - पहुँच, उपलब्धता, और उपयोग को शामिल किया जाता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) के सदस्य के रूप में भारत पर भूख से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व है।संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, **"सभी व्यक्तियों की सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुँच हो और जो उनके सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं तथा भोजन वरीयताओं को भी संतुष्ट करे।"** इस परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से पोषण सुरक्षा का भी समावेश है।

[1],[3]भाकृअप – राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
[1]भाकृअप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

भारत जैसे बड़े देश के लिए यह अपरिहार्य है कि डॉलर के संदर्भ में एफ.ए.ओ. का निवेश कृषि विकास में सरकार के निवेश के आकार से मेल नहीं खा सकता है। फिर भी, तकनीकी इनपुट के मामले में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डा० एम. एस. स्वामीनाथन, "विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि एफ.ए.ओ. ने फसल और पशु उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत की प्रगति में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।" अपने वैश्विक अनुभव के साथ, एफ.ए.ओ. ने खाद्य और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई क्षेत्रों में प्रमुख नीति और तकनीकी संसाधन प्रदान किए हैं। भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1950 में 50 मिलियन टन था जो बढ़कर 2014-15 में 257 मिलियन टन एवं 2021-22 में 316 मिलियन टन, अब तक का अधिकतम उत्पादन दर्ज किया । जबकि दलहन वर्ष 2001-02 में 13.37 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 25.72 मिलियन टन दर्ज किया गया । भारत की जनसंख्या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पोषण पर निर्भर करती है। यहाँ शाकाहारी लोगों का भोजन ज्यादातर दूध और दूध के उत्पाद पर निर्भर होते हैं जबकि मांसाहारी अंडे एवं मांस और मछलियों पर निर्भर होते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जहां वर्ष 2001-02 में 84 मिलियन टन से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में 210 मिलियन टन दर्ज किया गया एवं डेयरी क्षेत्र भी ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं के सबसे बड़े रोजगार देने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जबकि इसी दौरान अंडों के उत्पादन के संख्या 38.70 बिलियन से बढ़कर 122 बिलियन दर्ज की गयी ।देश में दो दशकों में माँस एवं मछली उत्पादन क्रमश: 2-9 एवं 6-15 मिलियन टन उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी जो पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है । भारत वैश्विक मछली उत्पादन और जलीय कृषि में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इस आलेख में प्रमुख तथ्य, खाद्य असुरक्षा से तात्पर्य, उसके प्रकार, भारत में खाद्य संकट का ऐतिहासिक विवरण एवं देश में खाद्य मांग को लगातार बनाए रखना चाहता है।देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुत्पादक भूमि को बहाल करने, वनों की कटाई से बचने, गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन के लिए तकनीकी को बढ़ावा एवं खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन में सुधार करना आवश्यक है । खाद्य असुरक्षा के कारण सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास तथा अन्य वैकल्पिक समाधानों पर भी विमर्श किया गया है ।

भारत में जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन

भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1950 में 50 मिलियन टन था जो लगभग 1970-71 तक दो गुना 102 मिलियन टन एवं इसी दौरान जनसंख्या का दबाव 38.25 से बढ़कर 55.50 करोड़ हो गया, इस दौरान भारत में खाद्यान्न की स्थिति में सुधार हुआ और आयात में कमी दर्ज गयी । भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति आगमन हुआ , जिसके दौरान भारत में कृषि को आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया था, जैसे कि उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों और उर्वरक के उपयोग को बढ़ाया गया । मुख्य रूप से भारत में कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, यह अवधि नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा शुरू किए गए बड़े हरित क्रांति के प्रयास का हिस्सा थी, जिसने विकासशील देशों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। जिसके फलस्वरूप भारत में 1980 के दशक में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होकर निर्यात की स्थिति में आ गया और खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 129.60 मिलियन टन एवं जनसंख्या 70 करोड़ पहुंच गयी। वर्ष 1990 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन का प्रदर्शन और भी सराहनीय रहा जिससे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन 181 किलोग्राम हो गया जबकि 1970 के दशक में मात्र 155 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था।

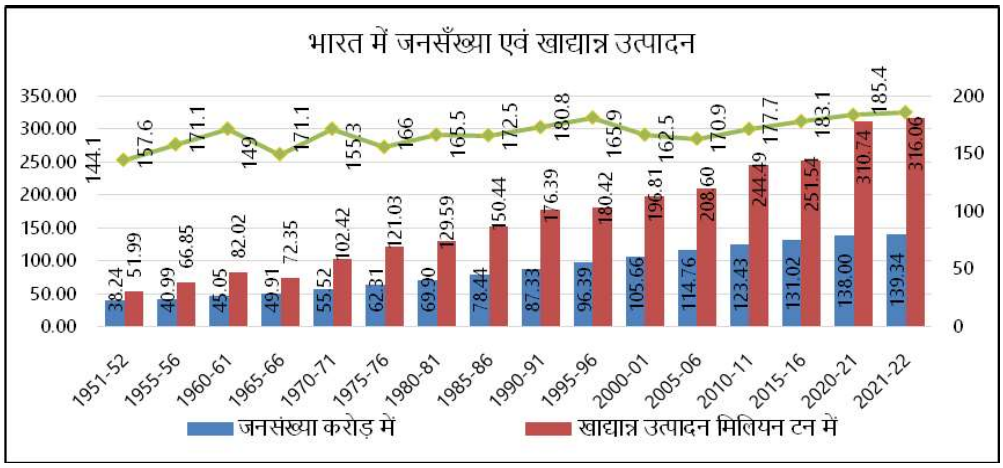

चित्र 1. भारत में जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पा दन एवं उपलब्धता

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, एग्रिकल्चर एट ए ग्लान्स 2001

हरित क्रांति की सफलता खासकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में विशेष प्रगति देखने को मिली जबकि दलहन एवं तिलहन में साधारण प्रगति देखी गयी। खाद्यान्न उत्पादन 2000 दशक के अंत में 210 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 310.74 मिलियन टन हो गया है। (चित्र 1) वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.33 प्रतिशत थी जबकि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 2.07 प्रतिशत दर्ज की गयी, आकड़ों से प्रतीत होता है दोनों दशकों में खाद्यान्न में उत्पादन पर जनसंख्या दबाव अधिक रहा। वर्ष 1990 के दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.24 प्रतिशत थी जबकि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 2.73 प्रतिशत में सुधार हुआ (चित्र 2.)।

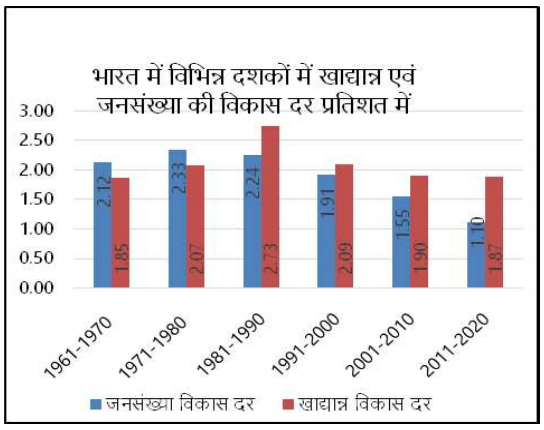

चित्र 2. भारत में जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

वर्ष 2010 के दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.55 प्रतिशत थी जो घटकर 2020 के दशक में 1.10 प्रतिशत रह गयी जबकि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 1.90 एवं 1.87 प्रतिशत दर्ज किया गया जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू है एवं हमारा देश खाद्यान्न निर्यात की स्थिति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

भारत में खाद्य असुरक्षा के कारण:

विश्व के अल्पविकसित देशों की तरह भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। यही नहीं बल्कि जो भोजन उन्हें उपलब्ध होता है, उसमें भी **पोषक तत्वों की कमी** होती है। भोजन की यह समस्या देश की एक बड़ी जनसंख्या के गंभीर संकट का कारण बनी हुई है। **स्वतंत्रता के बाद से** ही खाद्य समस्या देश के लिए चुनौती रही है और आज भी इसका यही स्वरूप है। भारत में इस समस्या के 3 पहलू हैं।

- हमारे यहां अभी हाल तक खाद्यान्नों की कमी रही है, जो अधिकांश भारतीयों का मुख्य भोजन है।
- देश में गरीबी के कारण आहार की उपलब्धता अधिकतर असंतुलित होती है।

- बहुत से लोगों को क्रय शक्ति के अभाव में न्यूनतम मात्रा में भी अनाज या पोषक आहार प्राप्त करने में रहते हैं। ऐसी स्थिति में लाखों लोगों का जीवन दुखमय होना स्वभाविक है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या के कारण :

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत खाद्य समस्या से जूझता रहा है और आज तक 75 वर्ष बीतने के बाद भी यह समस्या बनी हुई है। खाद्य समस्या का समाधान करने के लिए यह जान लेना आवश्यक होगा कि किन कारणों ने इसके समाधान में कठिनाई उत्पन्न की है। खाद्य समस्या के विविध कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि :

खाद्यान्न की समस्या के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1961-71 में 24.8 प्रतिशत, 1981-91 में 23.5 प्रतिशत थी। लेकिन इस पूरी अवधि में खाद्य के उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हुई। यही नहीं उत्पादन में अस्थिरता भी बनी रही। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्नों का उत्पादन कम रहा। फलस्वरुप खाद्यान्न समस्या गंभीर बनी रही।

खाद्यान्न उत्पादन में धीमी और अनिश्चित वृद्धि :

देश की जनसंख्या का प्रमुख आहार खाद्यान्न है और खाद्यान्न की उपज की गति धीमी रही है। कृषि भूमि बढ़ने की गुंजाइश प्राय: नहीं के बराबर है। जहां भूमि की उत्पादकता बढ़ाने की बात है तो हरित क्रांति भी अपने सीमित प्रभाव के कारण खाद्य समस्या को हल करने में असफल रही है। इसके सीमित विस्तार के अलावा कृषि उत्पादन इस कारण भी तेजी से नहीं बढ़ पाया कि रासायनिक खाद, अधिक उपज वाले बीज आदि साधन अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं रहे और साधारण किसानों के लिए उनकी कीमतें अधिक होने के कारण उनकी क्रय शक्ति से बाहर रही । इसके आकस्मिक सूखे और बाढ़ आदि के कारण भी समय-समय पर खाद्यान्न की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है।

आपूर्ति में उतार-चढ़ाव :

खाद्य उत्पादन में अनिश्चित एवं धीमी प्रवृत्ति तो रही ही है। बल्कि आपूर्ति में भी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही है अर्थात जो कुछ उत्पादन होता है, वह सब उपभोक्ता के लिए उपलब्ध भी नहीं हो पाता। इसके अनेक कारण रहे हैं। एक कारण है, देश के अनेक भागों में कीट पतंगों, चूहों और चिढ़ियों आदि के कारण अनाज की बर्बादी। एक अनुमान के अनुसार,**अनाज की उपज का लगभग 15% भाग नष्ट हो जाता है।** दूसरा कारण यह है कि अभी हाल तक मंडी में लाए गए अनाज के अधिशेष का अनुपात कम रहा है। उसकी वजह उत्पादन विषयक अनिश्चितता, किसानों की उपभोग विषयक मांग की अधिकता और विपणन की पर्याप्त सुविधाएँ आदि हैं। अपनी उपज का उससे कहीं अधिक भाग अपने पास ही रखते हैं। जितना उन्हें वास्तव में उपभोग आदि के लिए चाहिए।

अधिकांश जनसंख्या की अपर्याप्त क्रय शक्ति :

भारत में गरीबी का मुख्य कारण

भारत में 1970, 1980 एवं 1990 के दशक में जनसंख्या तेजी से बढ़ी और वार्षिक वृद्धि दर 2.25 प्रतिशत दर्ज की गयी। इससे खाद्य सुरक्षा, निरक्षरता प्रभावित होती है और प्रति व्यक्ति आय घटती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी सन् 2026 तक 1.5 बिलियन हो सकती है और भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र हो सकता है। भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही। परिणामस्वरूप नौकरियों की कमी हो रही है । यदि नौकरियों की

संख्या नहीं बढ़ाई गई तो गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी। वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था जिससे बेरोजगारी की समस्या को लगाम दिया जा सके । लेकिन सरकार की विनिमेश नीतियों के कारण एवं बैंकों में कम्प्युटर के बढ़ते उपयोग से सभी विभागों में नौकरियां घटती जा रही है ।

बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए जीवित रहना ही एक चुनौती है। भारत में गरीबी का एक अन्य कारण जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों का असमान वितरण भी है।इसके अलावा पूरे दिन मेहनत करने वाले अकुशल कारीगरों की आय भी बहुत कम है। असंगठित क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है। मालिकों को उनके मजदूरों की कम आय और खराब जीवन शैली की कोई परवाह नहीं है एवं न्यूनतम मजदूरी नहीं जाती है । उनकी चिंता सिर्फ लागत में कटौती और अधिक से अधिक लाभ कमाना है। उपलब्ध नौकरियों की संख्या के मुकाबले नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण अकुशल कारीगरों को कम पैसों में काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। सरकार को इन अकुशल कारीगरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के मानक बनाने चाहिये। इसके साथ ही सरकार को यह भी निश्चित करना चाहिये कि इनका पालन ठीक तरह से हो।

गरीबी के कारण उपभोग सीमित होना

गरीबी और अल्पग की यह स्थिति हमारे समाज के एन वर्गों में अधिक स्पष्ट रूप से देखि जा सकती है, जो कामकाज के अभाव के कारण गरीबी से लाचार है। इसके अलावा हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो काम कर ही नहीं सकते। जैसे वृद्ध अशक्त लोग, विधवाएं तथा अनाथ आदि इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिससे परिवार की प्रति व्यक्ति आय और कम हो जाती है । सीएमआईई के अनुसार, महंगाई के कारण घरेलू मांग कम होने से अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त पड़ी है, जिससे रोजगार के अवसर घटे हैं। जिससे गरीब लोगो का उपभोग सीमित होता जा रहा है ।

चित्र 3. बच्चों के बीच बढ़ता कुपोषण

खाद्य समस्या के समाधान के उपाय

मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना

खाद्य समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि खाद्यान्न की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। यह संतुलन मांग पक्ष की ओर से भी किया जाना चाहिए और आपूर्ति पक्ष की ओर से भी। लेकिन दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक मांग पक्ष की बात है, तेजी से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए यह उपाय करना आवश्यक है और अनावश्यक उपभोग पर भी रोक लगानी होगी।

गरीबी का उन्मूलन करके:

खाद्यान्न समस्या का स्थायी समाधान इन गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर किया जा सकता है, जो खाद्य वस्तुओं की कमी और उनकी ऊंची कीमतों के वास्तविक शिकार हैं। इस संदर्भ में **3** महत्वपूर्ण कार्य अपेक्षित हैं।

1. एक तो उत्पादक कार्यकलापों को रोजगार मूलक रूप देना होगा। इसका आशय यह है कि उत्पादन की ऐसी विधि अपनाई जाए, जिसमें श्रम की प्रधानता हो और साथ ही कार्य कुशलता भी बनी रहे।
2. बेरोजगार या अल्प नियोजित व्यक्तियों में कार्यकुशलता पैदा की जाए या बढ़ाई जाए ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादकता एवं आय बढ़ाई जा सके।
3. सामाजिक न्याय और **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** इतनी कुशल होनी चाहिए कि गरीब से गरीब तबके तक खाद्यान्न का विवेकपूर्ण वितरण किया जाए ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुशल बनाकर:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुशल बनाकर भी इस समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है। कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतों और उनकी उपज में बहुत गड़बड़ होती रहती है। अतः देश की **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** को इतना कुशल होना चाहिए जिससे खाद्यान्न जैसी आवश्यक उपभोग वस्तुएं उचित कीमतों पर, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों तक पहुंच सके। इस संदर्भ में मूल्य स्थिरता, उपज वृद्धि और खाद्य सामग्री के समुचित वितरण को लक्ष्य करके बनाई गई नीति में विभिन्न परस्पर संबद्ध उपायों का समुचित समायोजन करना होगा। तभी इस समस्या के समाधान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित योगदान कर सकेगी।

खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद भारत के समक्ष खाद्य समस्या सबसे बड़ी चुनौती बन कर उभरी। यही कारण था कि आयोजकों ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आयोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य स्वीकार किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी खाद्य आत्मनिर्भरता को देश की प्रगति और विकास का आधार माना था। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ते हुए ,बीज, पानी, उर्वरक, प्रौद्योगिकी को जिसे लोकप्रिय भाषा में हरित क्रांति का नाम दिया गया। खाद्य समस्या को हल करने के लिए सरकार समय –समय पर कदम उठती रहतीं हैं । इन्हें सरकारी नीति कहा जाता है । खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को निम्मनलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है ।

- खाद्य आपूर्ति में वृद्धि
- वितरण तंत्र में सुधार
- खाद्यान्न की कीमतों में स्थिरता
- मांग को नियंत्रित करने का उपाय
- गरीबी हटाने के लिए प्रयास

भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली

संभवत: यह विश्व में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। यह आवश्यक खाद्य पदार्थों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने का एकमात्र साधन है। यही नहीं गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में भी यह एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार व्यापारियों तथा उत्पादकों से वसूली कीमतों पर वस्तुएं खरीदती है और जो खरीद की जाती है उसका वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। कुछ वसूली प्रतिरोधक भंडारों के निर्माण के लिए रख ली जाती है। खाद्यान्नों के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग खाद्य तेलों, मिट्टी का तेल, चीनी, कोयला तथा कपड़े आदि के वितरण के लिए भी जाता है। इस प्रणाली में संपूर्ण जनसंख्या को शामिल किया गया है अर्थात इसे किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखा गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य :

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर राशन उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल, खाद्य तेल, चीनी और मिट्टी का तेल आदि बाजार भाव से कम कीमत पर निर्धारित मात्रा में लोगों को दिए जाते हैं। यह चीजें राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। जून, 1997 से गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने वाले लोगों को भारतीय खाद्य निगम की लागत से आधी की कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में सहयोग करने वाली संस्थाएं :

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** को खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। खाद्यान्न व अन्य सामग्री की खरीदारी, भंडारण व संरक्षण, स्थानांतरण, वितरण तथा बिक्री का काम करता है। निगम एक ओर यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिले तथा दूसरी और यह निश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को भंडार से एक ही स्कीम पर खाद्यान्न उपलब्ध हो। निगम को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सरकार की ओर से खाद्यान्नों का प्रतिरोध भंडार बना कर रखें। हाल के वर्षों में **गेहूं और चावल** के बढ़ते उत्पादन के कारण भारतीय खाद्य निगम की भूमिका भी बढ़ गई है। भारतीय खाद्य निगम की उपलब्धियां निम्नलिखित है।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** की मांग को पूरा करने के लिए उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना काफी सुलभ हुआ है।
- आधिकारिक मात्रा में किसानों से खाद्यान्न की वसूली के कारण खाद्यान्न के आयात की आवश्यकता कम हुई है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हो सकी है।
- पूर्व घोषित कीमतों पर उत्पादन खरीदने के कारण भारतीय खाद्य निगम किसानों को लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराने में सफल रहा है।
- उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर निगम ने गरीबों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दिया है।
- भारतीय खाद्य निगम ने देश में वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्था के निर्माण में सहायता की है।

वर्ष 2013 में लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली मेन मूलभूत सुधार ले आया और सबसे महत्वपूर्ण इसके जरिये कानूनी रूप से **'भोजन का अधिकार'** दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दुनिया का सबसे बड़ा (एनएफएसए)सामाजिक सुरक्षा आधारित कार्यक्रम है । जो वर्ष 2013 में लागू किया गया एवं जो 80

करोड़ व्यक्तियों को ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% को कवर करता है और इसकी लागत 4,400 अरब रुपये है । (2017) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नागरिकों को (पीडीएस) अत्यधिक रियायती खाद्यान उपलब्ध करने हेतु एनएफएसए को इसके उचित मूल्य की दुकानों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क से लागू करने का (एफपीएस) एक माध्यम है।इस प्रकार देश की दो तिहाई आबादी को कवर करता है। राज्यो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा /मोटा अनाज /गेंहू /पहचान किए गए पात्र व्यक्ति चावल की रियायती रुपये प्रति किलो 1/2/3 के लिए दर से प्रतिमाह प्राप्त करने के पात्र होते है मौजूदा अंतयोदय अन्न योजना परिवार (एएवाईई),जो सासे निर्धन हैं, 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमह खाद्यान्न प्राप्त करेंगे एनएफएएस के अंतर्गत उनकी हकदारी के अनुसार उन्हे खाद्यान्नो का मासिक आबंटन प्राप्त हो रहा है ।

एनएफएसए के बाद और कोविड-19 महामारी के दौरान पीडीएस तक पहुंच

एनएफएसए के कारण पीडीएस में हुए बड़े पैमाने पर बदलाव के बावजूद इसके लाभार्थियों पर पड़े प्रभाव काफी हद तक अज्ञात हैं। इसका एक कारण आंकड़ों की कमी है । कोविड 19 महामारी के कारण, पीडीएस को खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने का काम सौंपा गया जिसमें इसके पोर्टफोलियो का विस्तार कर मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना था। हालाँकि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)[2] के माध्यम से कोविड-19 राहत के रूप में पीडीएस को कितनी अच्छी तरह से संचालित किया गया, इसका आकलन नहीं किया गया है। हाल के शोध रॉय एवं अन्य (2021) में हम बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश (ईयूपी)[3] में प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर एनएफएसए के लागू होने के बाद और कोविड-19 के दौरान की स्थिति का आकलन करके इन अंतरालों को स्पष्ट करना चाहते हैं।यह अध्ययन आंशिक रूप से 2014 (प्रधान 2018) में किए गए नमूने और शोध पर आधारित है, जब कुछ राज्यों में एनएफएसए को अभी तक लागू नहीं किया गया था। एनएफएसए को धीरेधीरे चरणों में - मार्च2014 (बिहार), नवंबर 2015 (ओडिशा) और मार्च 2016 (यूपी) 2017 (पूरी) से लागू किया गया था। प्रधान (2018) से पता चलता है कि न केवल मात्रा, कीमतों और अनाज की गुणवत्ता के संबंध में, बल्कि आय और स्थान के समान पात्रता मानदंड के अधीन होने पर भी परिवारों के पीडीएस के बारे में अलग खाद्यान्न के वास्तविक रूप में अलग अनुभव हैं।प्राप्त करने और अनुभवों में, आर्थिक स्थिति और लैंगिक आधार पर अंतर पाए गए । हम, हाल के एक सर्वेक्षण में पीडीएस तक पहुँचने और पात्रताओं का उपयोग करने के संदर्भ में एनएफएसए के लागू होने के पूर्व और बाद के अनुभवों की तुलना करने के लिए जानकारी एकत्र की, और यह पता लगाया कि एनएफएसए के लागू होने के कारण, परिवार श्रेणी और राज्य विशिष्ट समायोजन के चलते पीडीएस पात्रता में हुए बदलाव के बारे में उत्तरदाताओं को पता है या नहीं। यह सर्वेक्षण कोविड-19 के दौरान किए गए पीडीएस वितरण और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)[4]जैसे सुधारों के बारे में जागरूकता और प्राथमिकताओं को भी देखता है, जो पहले से प्रस्तावित थे लेकिन कोविड-19 के सन्दर्भ में भारत की प्रतिक्रिया के एक भाग के रूप में लागू किए गए थे। हमारे सर्वेक्षण की अवधि के दौरान ओएनओआरसी पर कार्य चल रहा था।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नति एवं उच्च गुणवत्ता बीज योजना

खाद्यान्न उत्पादन में प्रमाणित एवं गुणवत्ता बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनके प्रयोग से 10-30 % तक उपज में वृद्धि होती है। उच्च गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण योजना के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन वर्ष 2005-06 में हुआ है। उच्च गुणवत्ता बीज योजना से जुड़ी अधिकतम लागत रुपए की 25% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड कैपिटल

सब्सिडी प्रदान की जाती है। बीज अवसंरचना विकास पर 25.00 लाख प्रति यूनिट, निजी कंपनियां, व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, बीज सहकारी, साझेदारी फार्म सब्सिडी के लिए पात्र हैं। बीज योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों /अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। देश में वर्ष 2005-06 में प्रमाणित बीजों का वितरण 12.68 मिलियन हुआ जो बढ़कर लगभग वर्ष 2010-11 में दुगना 27.73 मिलियन कुंटल हजार टन हो गया जबकि उपलब्धता 32 मिलियन कुंटल पहुँच गयी। देश में प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं प्रमाणित बीजों का वितरण में आगामी वर्षों में सुधार हुआ एवं वर्ष 2019-20 में 48.37 मिलियन कुंटल हजार टन हो गया जबकि उपलब्धता 38.37 मिलियन कुंटल पहुँच गई (चित्र 3.)। देश में दो दशकों (2001-02 से 2020-21) के दौरान **प्रमाणित बीजों के वितरण में उल्लेखनीय वार्षिक विकास दर 8.26 प्रतिशत एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन में** 7.63 प्रतिशत दर्ज की गयी।देश में बीज उद्योग में बड़ी तेजी विकास हो रहा है एवं सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से प्रमाणित बीजों की उपलब्धता 48.37 मिलियन कुंटल एवं प्रमाणित बीजों का वितरण38.37 मिलियन कुंटल दर्ज किया गया ।

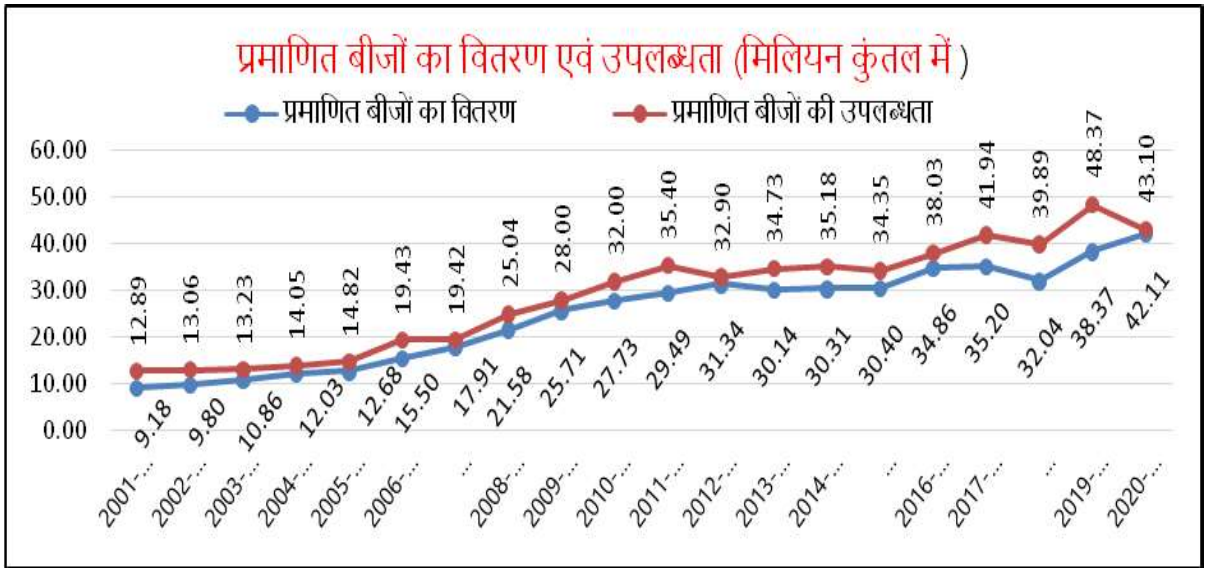

चित्र 3. प्रमाणित बीजों का वितरण एवं उपलब्धता

स्रोत: एग्रीकल्चर एट. ए ग्लांस 2020-21

देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की निजी कंपनियों की हिस्सेदारी

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) एक अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न श्रेणी- । कंपनी है, जो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एनएससी की स्थापना मार्च 1963 में नींव और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए की गई थी। देश में बीज उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2001-02 52.60 प्रतिशत से लगातार बढ़कर वर्ष 2009-10 में 61.07 जबकि वर्ष 2010-11 में 48. 40 से लगातार 2017-18 में 42.72 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 38 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि

के दौरान निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 57.28 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो गई(चित्र 4.)। भारत के बीज क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।इस साल मार्च में लोकसभा में प्रस्तुत की गई अनुदान मांगों (2021-22) पर कृषि की 25 वीं रिपोर्ट पर स्थायी समिति ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के हवाले से कहा कि भारतीय मूल और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित लगभग 540 निजी बीज कंपनियां देश में काम करती हैं। इसमें से करीब 80 कंपनियों के अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम हैं। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र की किस्मों के बीज का उत्पादन और विपणन करते हैं।

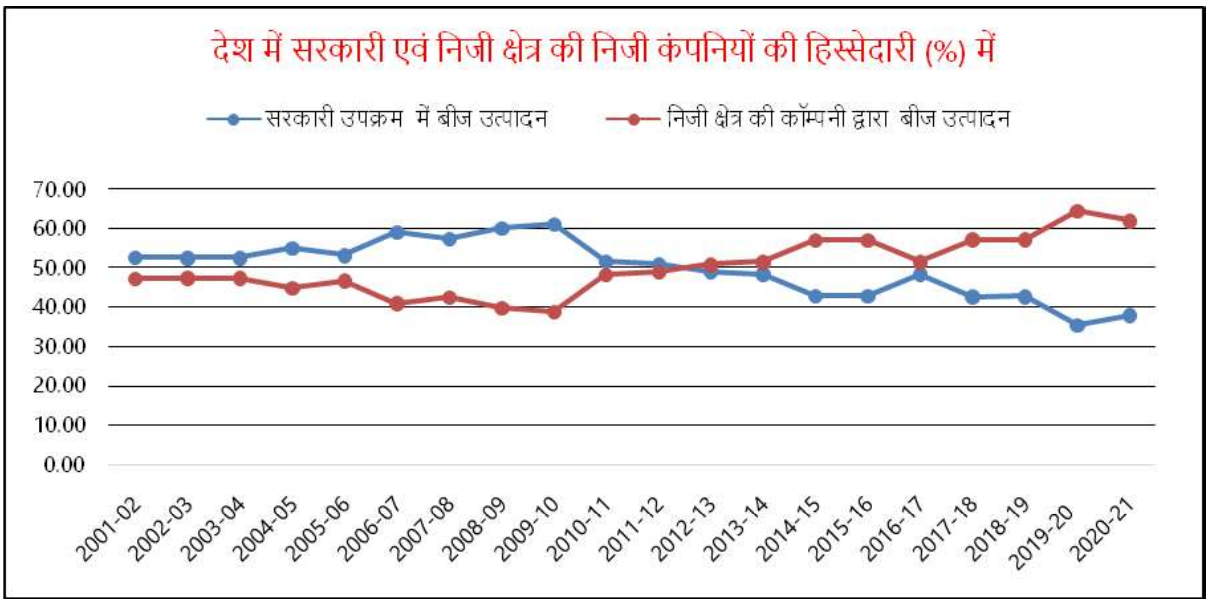

चित्र 4. प्रमाणित बीजों का वितरण में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की निजी कंपनियों की भूमिका

स्रोत: एग्रीकल्चर एट. ए ग्लांस 2020-21

भारत में खाद्य असुरक्षा का ऐतिहासिक विवरण

देश में स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन 50.82 मिलियन टन वर्ष 1950-51 में किया गया जो खाद्य सुरक्षा देश के लिये बड़ी चुनौती उभर कर आयी ।भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का इतिहास वर्ष 1943 में ब्रिटिश औनिवेशिक शासन के दौरान हुए बंगाल अकाल में देखा जा सकता है, जिसके दौरान भुखमरी के कारण लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी।भारत में 1960 के दशक के अंत में 76.67 मिलियन टन और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति ने दस्तक दी, जिससे देश के खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उत्पादन क्रमश: 20 एवं 40 मिलियन टन था जो 2000 के दशक में बढ़कर 76 एवं 90 मिलियन टन हो गया । वर्तमान में देश में खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उत्पादन क्रमश: 110 एवं 122 मिलियन टन जबकि कुल खाद्यान्न 310 मिलियन टन हो गया जोकि 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से अधिक है (चित्र 5.) ।

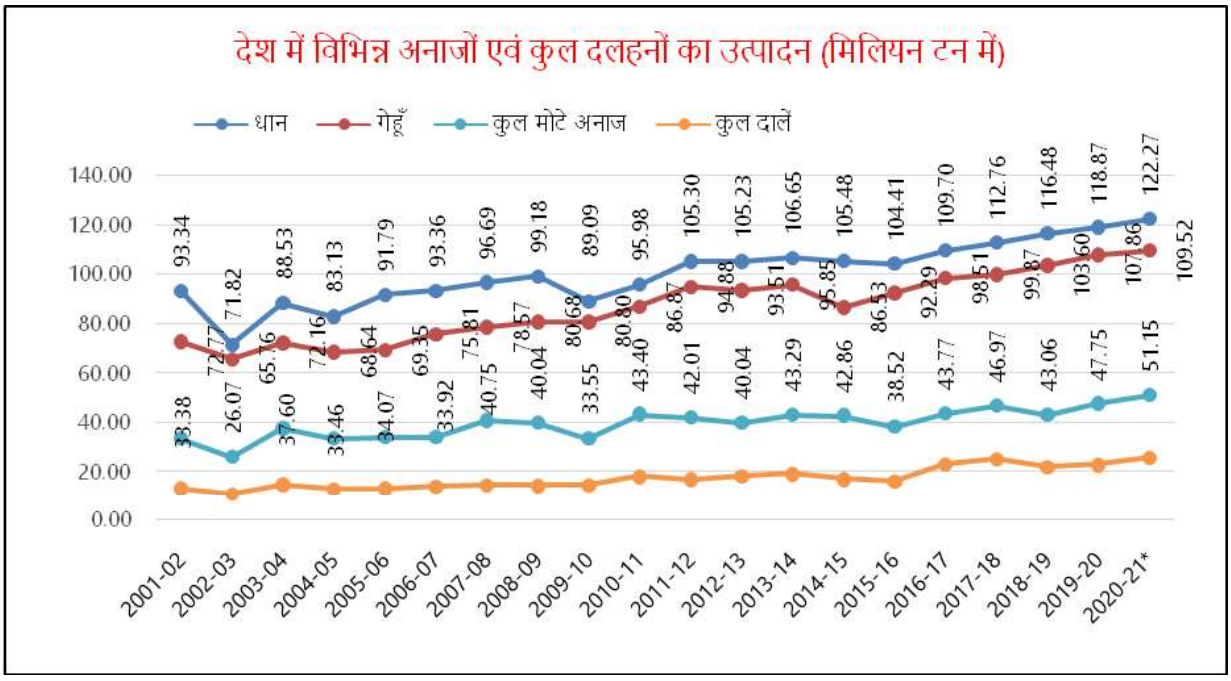

चित्र 5. विभिन्न अनाजों एवं कुल दलहनों का उत्पादन

स्रोत: एग्रीकल्चर एट. ए ग्लांस 2020-21

देश में बागवानी फसलों के उत्पादन से पोषण की समस्या का समाधान

बागवानी फसलों में जैसे सब्जियां, फल, फूल, मसाले और शहद के किसानों को कम क्षेत्रफल में उच्चतम आय प्राप्त हो सकती हैं तथा खाद्यान्नों की अपेक्षा इनका उत्पादन और मांग तेजी से बढ़ रही है। बागवानी फसलों में वर्ष 1991-92 में कुल उत्पादन 95.53 मिलियन टन जिसमें कुल सब्जियों का उत्पादन 58.53 मिलियन टन एवं कुल फलों का 28.63 मिलियन टन था जो बढ़कर वर्ष 2006-07 में डबल 191.91 मिलियन टन दर्ज किया गया जिसमें कुल सब्जियों का उत्पादन 115 मिलियन टन एवं कुल फलों का 55.4 मिलियन टन दर्ज किया गया। वर्तमान में वर्ष 2020-21 में बागवानी फसलों के कुल उत्पादन 331 मिलियन टन जिसमें कुल सब्जियों का उत्पादन 197 मिलियन टन एवं कुल फलों का 103 मिलियन टन दर्ज किया , जो कुल खाद्यान्न उत्पादन 310 मिलियन टन से भी अधिक दर्ज किया गया । पिछले तीन दशकों (1991-92 से 2020-21) में कुल फल फसलों में वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर 4.37 प्रतिशत ,कुल सब्जी फसलों में 4.43 प्रतिशत एवं कुल बागवानी फसलों में 4.86 प्रतिशत दर्ज की गई (चित्र 6.)।

देश में बागवानी फसलों में जैसे सब्जियां, फल, फूल, मसाले और शहद पोषण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जिनकी अंतरराष्ट्रीय मांग बहुत अधिक है। केरल से लेकर कश्मीर तक हमारी जलवायु विविध है। हमारे लिए ग्लोबल फ्लावर एंड वेजिटेबल हब बनना और साल भर इन वस्तुओं की आपूर्ति करना संभव है। फलों और सब्जियों के उत्पादन एवं निर्यात में बागवानी एक बढ़ता हुआ उप-क्षेत्र है।

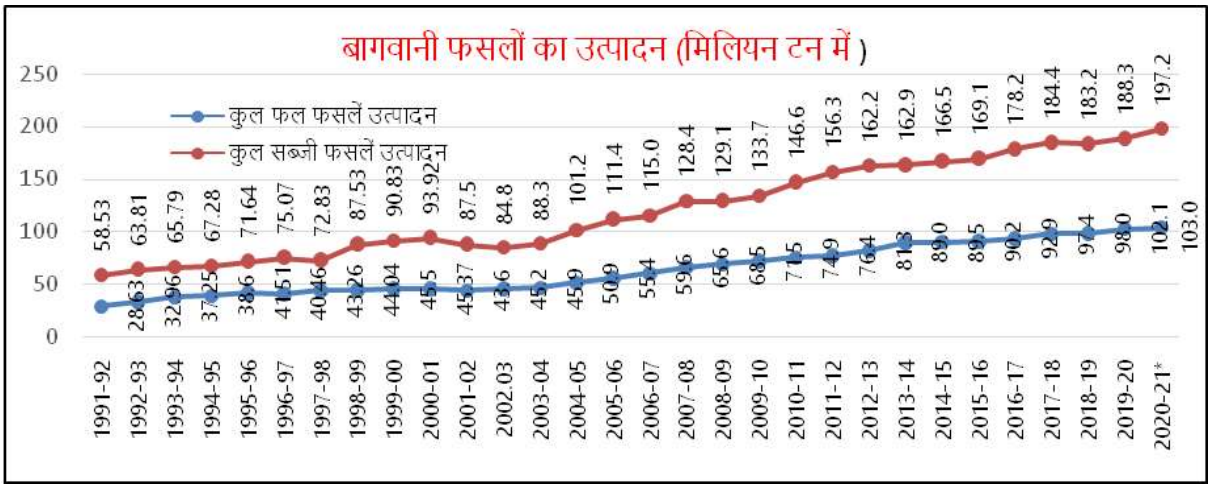

चित्र 6. विभिन्न बागवानी फसलों का उत्पादन मिलियन टन में

स्रोत: एग्रीकल्चर एट. ए ग्लांस 2020-21 * तृतीय अग्रिम अनुमान

फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के वाद भारत का दूसरा स्थान है। वर्ष 2016-17 में ताजे फलों का निर्यात 4966.92 करोड़ रुपये के 798.75 हजार टन फलों और 5718.69 करोड़ रुपये मूल्य की 3631.97 हजार टन सब्जियों का निर्यात किया जो बढ़कर क्रमशः वर्ष 2020-21 में 5647.55 करोड़ रुपये के 956.96 हजार टन फल और 5371.85 करोड़ रुपये मूल्य की 2326.53 हजार टन ताजी सब्जियों का निर्यात किया गया ।

देश में कुपोषण की समस्या का समाधान

देश में खाद्य एवं कृषि संगठन के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 में सबसे अधिक कुपोषित लोग मौजूद थे। वैश्विक खाद्य भोजन सुरक्षा (जीएफएस) सूचकांक 2021के अनुसार भारत 71वें स्थान पर आता है ।खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization-FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तकरीबन 14.8 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषित है।देश में गरीबी एवं बढती बेरोजगारी की वजह से खाद्य की उपलब्धता होने के बाबजूद लोगों के पास खाद्यान्न क्रय करने की शक्ति नहीं है। कुपोषण की समस्या से लोगों अपने भोजन में अपनी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रोटीन (Protein)से युक्त खाद्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए । दूध और अंडे दोनों ही प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इन दोनों में ही अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की रोजाना पोषण की आवश्यकता को पूरी करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या अंडे दूध से बेहतर होते हैं? कुछ लोग अंडे खाना पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें दूध का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है।

दुग्ध उत्पादन एवं अंडा उत्पादन

वर्तमान में भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है । पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उपाय शुरू किए गए हैं जो दुग्ध 2008-09 में दोगुना 112.20 मिलियन टन दर्ज किया गया। दुग्ध उत्पादन में निरंतर नए आयाम हासिल किये एवं वर्ष 2020-21 में 210 मिलियन टन दर्ज किया गया (चित्र 7.) जिससे प्रति व्यक्ति दूध की गई।वर्तमान में भारत में कुक्कुट उत्पादन का बड़ा उत्पादक है । अंडों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए कृषि पद्धतियां अत्याधुनिक तकनीकी के साथ प्रणाली में हस्तक्षेप से वर्तमान में 20 वी लाइव स्टॉक सेंसस के कुल पोल्ट्री की संख्या 851.81 मिलियन है। दुग्ध उत्पादन की तरह अंडा उत्पादन में पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 में कुल अंडा उत्पादन संख्या 21.98 बिलियन जो बढ़कर वर्ष 2003-04 में संख्या डबल 45.20 बिलियन दर्ज किया गया ।

बिलियन दर्ज किया गया, (चित्र 7.) जिससे प्रति

उत्पादन में पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है। वर्ष 1991-92 में कुल दुग्ध उत्पादन 55.70 मिलियन टन था जो बढ़कर वर्ष उपलब्धता लगभग 427 ग्राम/दिन हो गई। वर्ष 2010 के दशक में दुग्ध उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर 4.42 प्रतिशत थी जो बढ़कर 5.90 प्रतिशत वर्ष 2020 के दशक में दर्ज की व्यक्ति अंडों की उपलब्धता लगभग 90/प्रति वर्ष हो गयी। वर्ष 2010 के दशक में दुग्ध उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर 5.92 प्रतिशत थी जो बढकर 7.01 प्रतिशत वर्ष 2020 के दशक में दर्ज की गई ।

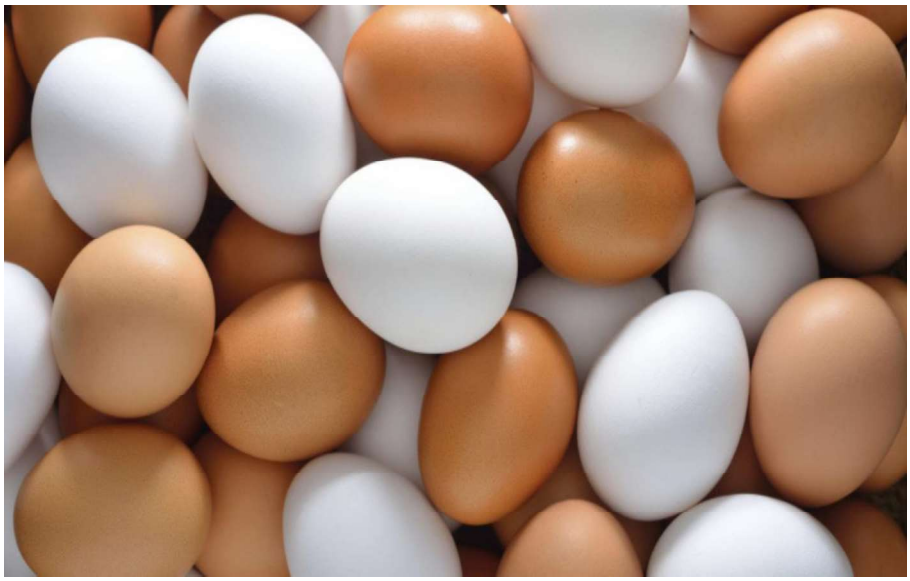

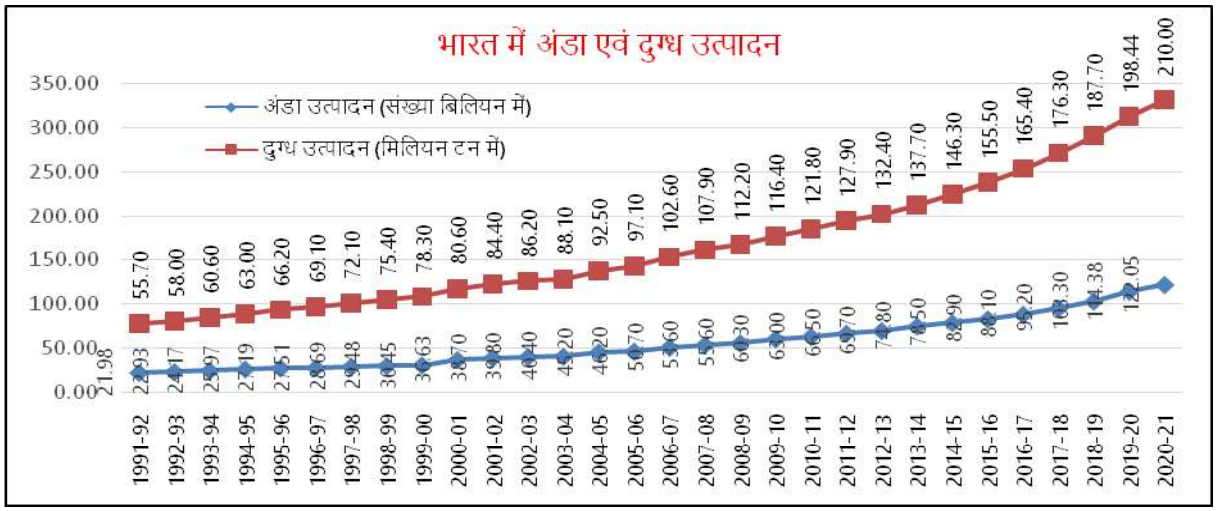

चित्र 7. भारत में अंडा एवं दुग्ध उत्पादन

स्रोत: एग्रीकल्चर एट. ए ग्लांस 2020-21

भारत में माँस मछली का उत्पादन

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.56% है ।मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।मत्स्य पालन क्षेत्र को 'सनराइज सेक्टर' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड मछली उत्पादन 15.02 मिलियन टन रहा है। और इसमें विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं इसके अलावा, इसने भारत में 28 मिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदाय के लोगों के लिए और सामाजिकआर्थिक विकास को - प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात से प्राप्त आय 46.66 हजार करोड़

रुपये रही है एवं इस क्षेत्र में अपने निर्यात को दोगुना करने की अपार संभावनाएं हैं।

पिछले दो दशकों (2001-02) से (2020-21) मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 5.10 प्रतिशत रही है। मछली पशु प्रोटीन से सस्ता और समृद्ध स्रोत है।

जिसके कारण यह भूखमरी और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। इसके विकास में तेजी लाने के लिए नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

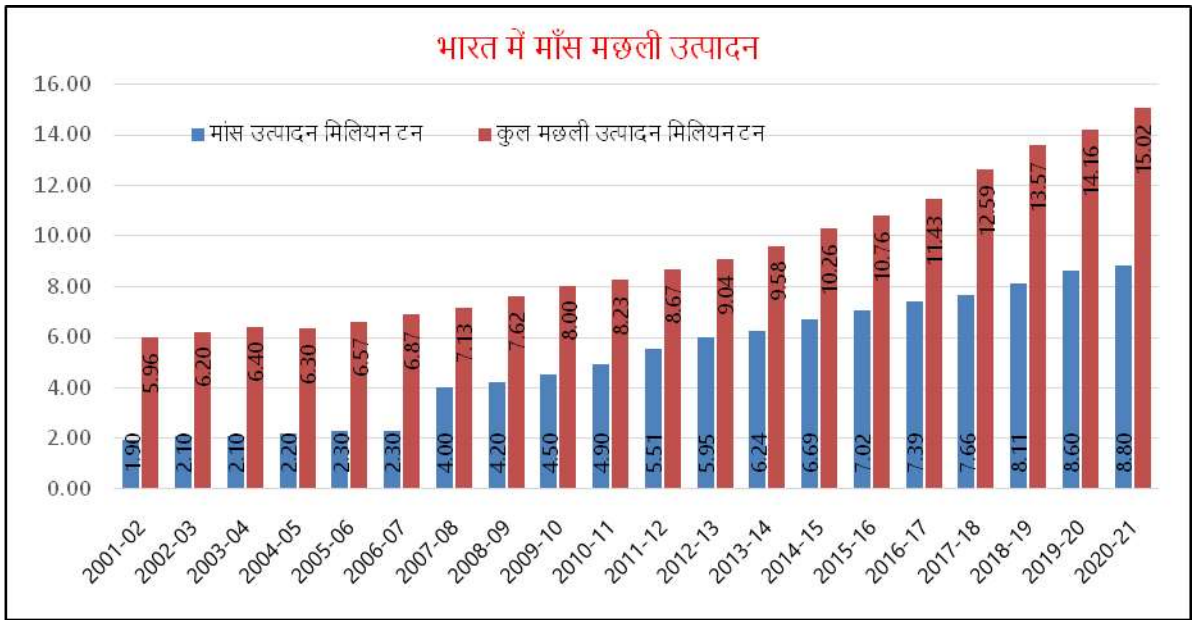

चित्र 8. भारत में माँस मछली का उत्पादन मिलियन टन में

स्रोत: एग्रीकल्चर एट. ए ग्लांस 2020-21

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है और वह अपनी यह स्थिति अगले दशक तक बनाए रखेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और आर्थिक सहयोग संगठन (ओईसीडी) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। भारत में माँस उत्पादन में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में कुल माँस उत्पादन 1.90 मिलियन टन जो बढ़कर वर्ष 2007-08 में 8 मिलियन टन दर्ज किया गया । माँस उत्पादन में निरंतर तेजी से वृद्धि दर्ज की गई एवं वर्ष 2020-21 में 8.80 मिलियन टन दर्ज की गई। दो दशकों (2001-02 से 2020-21) में माँस उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर 9.36 प्रतिशत दर्ज की गई (चित्र 8.)। ओईसीडी एफएओ कृषि परिदृस्य (2016-2017) रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले वर्ष 1.56 मिलियन टन बीफ का निर्यात किया था और उम्मीद की जा रही है कि भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़े बीफ निर्यातक की अपनी यह स्थिति बनाए रखेगा। भारत 2026 में 1.93 मिलियन टन के निर्यात के साथ विश्व के 16 प्रतिशत बीफ का निर्यातक होगा।

निष्कर्ष

वर्ष 1990 के दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.24 प्रतिशत थी जबकि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर (2.73 प्रतिशत) में सुधार हुआ । वर्ष 2010 के दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.55 प्रतिशत थी जो घटकर 2020 के दशक में 1.10 प्रतिशत में रह गयी जबकि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 1.90 एवं 1.87 प्रतिशत दर्ज की गई जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू है एवं हमारा देश खाद्यान्न निर्यात की स्थिति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है ।

वर्ष 2017-18 में भारत ने रिकॉर्ड 284.83 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया, फिर भी किसानों की आय स्थिर बनी हुई है और 15% आबादी अभी भी कुपोषित है। पर्याप्त भोजन तक पहुंच खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन गरीबी की वजह से लोगों की पहुँच पर्याप्त भोजन तक नहीं होती। गरीबी की व्यापकता को खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ा जाता है क्योंकि गरीब अक्सर कुपोषित और कमज़ोर होते हैं। सरकार की नीतियों ने फसल विकल्पों, फसल की तीव्रता, कृषि रसायनों के उपयोग आदि को प्रभावित किया है, लेकिन फसल विविधता और मिटटी की गुणवत्ता के मुद्दों को काफी हद तक नजरअंदाज किया है। इसके अलावा, कृषि विकास की नीतियों ने जनसंख्या की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा की है और इसलिए पर्याप्त रूप से कुपोषण को दूर करने की समस्या बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों के लिए विधायी परिवर्तन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से ध्यान देना चाहिए। जिसमें प्रोटीन आधारित और पौष्टिक फसलों, ऋण, तकनीक, बाज़ार तक पहुँच, वैकल्पिक फसलों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का फोकस बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

भारत की जनसंख्या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पोषण पर निर्भर करती है। यहाँ शाकाहारी लोगों का भोजन ज्यादातर दूध और दूध के उत्पाद पर निर्भर होते हैं जबकि मांसाहारी अंडे एवं मांस और मछलियों पर निर्भर होते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जो वर्ष 2001-02 में 84 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 210 मिलियन टन हो चुका है एवं डेयरी क्षेत्र भी ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं के सबसे बड़े रोजगार देने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जबकि इसी दौरान अंडों का उत्पादन के संख्या 38.70 बिलियन से बढ़कर 122 बिलियन दर्ज की गयी । देश में दो दशकों में माँस एवं मछली उत्पादन क्रमश: 2.9 एवं 6.15 मिलियन टन उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई जो पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।भारत वैश्विक मछली उत्पादन और जलीय कृषि में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में कुपोषण की समस्या से लोगों को अपने भोजन में अपनी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रोटीन (Protein) से युक्त चीजें समावेशि करनी चाहिए । दूध और अंडे दोनों ही प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इन दोनों में ही अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की रोजाना पोषण की आवश्यकता को पूरी करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या अंडे दूध से बेहतर होते हैं? कुछ लोग अंडे खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए दूध का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है ।

संदर्भ

1. जगदीप सक्सेना (2017) भारत में खाद्य सुरक्षा : दशा, दिशा और भावी परिदृश्य, कुरुक्षेत्र पत्रिका फरबरी 2017।
2. वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली https://agricoop.nic.in/sites/default/files/approved%20AR-Hindi%20%281%29.pdf
3. एग्रीकल्चरएट ए ग्लैन्स 2020, 2021 प्रकाशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन , नई दिल्ली।
4. आर्थिकसर्वेक्षण 2020-21, 2021-22 ।
5. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (कृषि मंत्रालय भारत सरकार) राजेन्द्र नगर, हैदरावाद, रिपोर्ट 2013 https://www.manage.gov.in/studymaterial/FNS-H.pdf.
6. रुचिरा बॉस (2021) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कोविड-19.https://www.ideasforindia.in/tag-search/pds-national-food-security-act-and-covid-19-hindi.html

लेखक : प्रेम नारायण , मुख्य तकनीकी अधिकारी , राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा न्यू दिल्ली । Email prem.ncap@gmail.com

लेखक: आशुतोष कुमार, उपनिदेशक राजभाषा

लेखक: अभिषेक कुमार राव, शोध छात्र पर्यावरण विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

Email : akraokv107@gmail.com

नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी का पूरा नाम **नरेंद्र दामोदरदास मोदी** है। उनका जन्म **17 सितंबर 1950** को वेदनगर नामक गांव में हुआ जो महाराष्ट्र जिले के अंतर्गत आता था और अब गुजरात विभाजन के बाद गुजरात राज्य में आता है। उनके पिताजी का नाम **दामोदरदास मूलचंद मोदी** और उनके माता का नाम **हीराबेन मोदी** था । वे अपने बचपन के दिनों में अपनी पढ़ाई के साथ अपने पिताजी की **चाय की दुकान** में मदद किया करते थे । उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई 1967 में अपने गांव के स्कूल से ही पूरी की। मात्र 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी **ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)** में हिस्सा लिया। उन्होंने घर छोड़ कर 2 साल तक भारत का भ्रमण किया और साधु संत की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। 1970 में, 2 साल बाद वे वापस अपना घर लौटे । वे **3 अक्टूबर 2001** को **गुजरात के मुख्यमंत्री** बने और बाद में लगातार गुजरात में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और देखते ही देखते अभी तक वे दो बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वे एक युगद्रष्टा के साथ-साथ विश्व के सशक्त नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं।